

सरकारी आदेश 2021-03
(COVID-19 सरकारी आदेश संख्या 73)

अपडेट किए गए शमन टियर और चरण

जबकि, कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19), एक नई गंभीर और विकट सांस की बीमारी है, जो तेजी से पूरे इलिनॉय में फैल गई है और इसके कारण बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण और नए उपायों की लगातार आवश्यकता बनी हुई है; तथा,

जबकि COVID-19 श्वसन संचरण के माध्यम से लोगों में फैल सकता है, लक्षणरहित लोग वायरस को संचारित कर सकते हैं, और इस समय कोई भी पूरी तरह से प्रभावी उपचार नहीं है, और वैक्सीन रोलआउट प्रारंभिक अवस्था में है; और,

जबकि, इलिनॉय राज्य में लोक स्वास्थ्य और सुरक्षा के संरक्षण के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बीमार लोगों की सेवा करने में सक्षम है, और COVID-19 के प्रसार को धीमा करने और रोकने के लिए मैंने यह पाया है कि लोक स्वास्थ्य दिशानिर्देश को लागू करने व लोगों द्वारा अपनाया जाए इसके लिए संगत अतिरिक्त उपाय करना आवश्यक है; तथा,

जबकि, जनवरी 8, 2021, को COVID-19 के जारी प्रसार के जारी रहने, और राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में जो लगातार जारी स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उन पर विचार करते हुए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को दोबारा आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, जन स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों के साथ कार्य करते हुए, मैंने एक सुविचारित योजना प्रस्तुत की थी जो कोविड-19 के पुनरुत्थान का मुकाबला करने और अनियंत्रणीय प्रसार की रोकथाम करने के लिए न्यूनीकरण के चरणों की कई पतियों को उपयोग में लाती है; और,

जबकि, वायरस के उल्लेखनीय प्रसार और अस्पताल शैयाओं एवं ICU शैयाओं पर भर्ती COVID-19 रोगियों की संख्या में उछाल के कारण, मैंने 20 नवंबर 2020, को पूरे राज्य में स्तर 3 की न्यूनीकरण योजना लागू की थी; और,

जबकि, नवंबर 2020 में राज्यव्यापी सकारात्मकता दर और नए COVID-19 मामले चरम पर थे, और आम तौर पर दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 की पहली छमाही में नीचे की ओर उतरे हैं; तथा,

जबकि, इस सुधार को देखते हुए, इस समय यह उचित है कि एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण की ओर लौटा जाए जिसमें राज्य के ग्यारह ("EMS") (Emergency Medical Services) क्षेत्रों¹; में से प्रत्येक के COVID-19 मैट्रिक्स के आधार पर शमन उपाय निर्धारित होते हैं; और,

जबकि, अस्पताल के कर्ताधर्ताओं और स्थानीय स्वास्थ्य विभागों के साथ निरंतर विचार-विमर्श के आधार पर, नवीनतम परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए क्षेत्रीय शमन मैट्रिक्स को संशोधित करना भी इस समय उचित है;

इसलिए, इलिनॉय राज्य के गवर्नर के रूप में मुझे में निहित शक्तियों, इलिनॉय के संविधान और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, (Illinois Emergency Management Agency

¹राज्य के EMS क्षेत्रों के बारे में अधिक जानकारी, क्षेत्रों के नक्शे सहित, यहां उपलब्ध है:

<https://www.dph.illinois.gov/topics-services/emergency-preparedness-response/ems>.

Act) 20 ILCS 3305 की धारा 7 (1), 7 (2), 7 (3), 7 (8), 7 (9), और 7 (12) के अनुसार और लोक स्वास्थ्य कानूनों की शक्तियों के अनुरूप, मैं तुरंत प्रभावी निम्नलिखित आदेश दे रहा हूँ:

अनुभाग 1: शमन टियर और चरणों के मध्य क्षेत्रीय संचलन के लिए मैट्रिक्स निम्नलिखित मैट्रिक्स तय करते हैं कि शमन उपायों का कौन सा सेट EMS क्षेत्र के अंतर्गत काउंटियों (या शिकागो शहर) पर लागू होता है। इलिनॉय लोक स्वास्थ्य विभाग (IDPH) वास्तविक समय के आधार पर अपनी वेबसाइट पर ट्रैक करेगा और रिपोर्ट करेगा कि कौन से शमन उपायों का सेट कौनसे EMS क्षेत्रों पर लागू होता है।² मई 2020 में, मैंने राज्य को फिर से सुरक्षित रूप से खोलने के लिए पांच चरणों की रिस्टोर इलिनॉय योजना की घोषणा की।³ राज्य ने उस योजना के चरण 4 में प्रवेश किया है, और चरण 4 में ही तब तक रहेगा जब तक कोई टीका या अत्यधिक प्रभावी उपचार व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं होता है (चरण 5)। चरण 4 के शमन उपाय इस प्रकार राज्य के COVID-19 लोक स्वास्थ्य प्रतिबंधों के लिए एक आधार रेखा निर्धारित करते हैं।

चरण 4 में, जन स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों के साथ कार्य करते हुए, मैंने एक सुविचारित योजना प्रस्तुत की थी जो COVID-19 के पुनरुत्थान का मुकाबला करने और अनियंत्रणीय प्रसार की रोकथाम करने के लिए शमन उपायों के कई “टियर्स” को उपयोग में लाती है; और, जब एक EMS क्षेत्र के COVID-19 मैट्रिक्स वायरस के बढ़ते प्रसार और अस्पताल की घटी हुई क्षमता को दर्शाते हैं, तो वे “टियर” ट्रिगर हो जाते हैं। टियर 1 बेसलाइन चरण 4 शमन उपायों की तुलना में अधिक प्रतिबंध लगाता है, और अगर टियर 1 उपायों से क्षेत्र के COVID-19 मैट्रिक्स में सुधार नहीं होता है, तो टियर 2 और टियर 3 में नीचे निर्धारित किए अनुसार बढ़े हुए प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

a. कम प्रतिबंधात्मक शमन उपायों के ओर बढ़ना।

a. टियर 3 से टियर 2 में जाने के लिए, किसी क्षेत्र को निम्नलिखित मैट्रिक्स को पूरा करना होगा:

- i. 7 दिनों के रोलिंग औसत द्वारा मापी गई, लगातार तीन दिनों के लिए 12 प्रतिशत से कम की COVID-19 परीक्षण की सकारात्मकता दर; तथा
- ii. 7 दिन के रोलिंग औसत पर, लगातार तीन दिनों के लिए स्टाफ सहित अस्पताल के कम से कम 20 प्रतिशत ICU बिस्तर उपलब्ध होना चाहिए; तथा
- iii. 7 दिनों के औसत पर 10 दिनों में से सात दिनों के लिए अस्पताल में COVID-19 वाले लोगों की संख्या में निरंतर गिरावट।

b. टियर 2 से टियर 1 तक जाने के लिए, किसी क्षेत्र को निम्नलिखित मैट्रिक्स को पूरा करना होगा:

- i. 7-दिवसीय रोलिंग औसत द्वारा मापी गई लगातार तीन दिनों के लिए 6.5 और 8 प्रतिशत के बीच COVID-19 परीक्षण सकारात्मकता दर; तथा
- ii. 7 दिन के रोलिंग औसत पर, लगातार तीन दिनों के लिए स्टाफ सहित अस्पताल के कम से कम 20 प्रतिशत ICU बिस्तर उपलब्ध होना चाहिए; तथा
- iii. 7 दिनों के औसत पर, 10 दिनों में से सात दिनों के लिए अस्पताल में COVID-19 वाले लोगों की संख्या में कोई निरंतर वृद्धि नहीं हुई हो।

अधिक जानकारी यहां उपलब्ध है <http://www.dph.illinois.gov/regionmetrics?regionID=1>.

रिस्टोर इलिनॉय योजना के संबंध में अतिरिक्त जानकारी यहां उपलब्ध है

<https://coronavirus.illinois.gov/s/restore-illinois-introduction>.

c. टियर 1 से बाहर आने के लिए, जिससे कि केवल चरण 4 के प्रतिबंध लागू हों, किसी क्षेत्र को निम्नलिखित मैट्रिक्स को पूरा करना होगा:

- i. 7-दिवसीय रोलिंग औसत द्वारा मापी गई COVID-19 परीक्षण सकारात्मकता लगातार तीन दिनों के लिए 6.5 प्रतिशत या उससे कम है; तथा
- ii. 7 दिन के रोलिंग औसत पर, लगातार तीन दिनों के लिए स्टाफ सहित अस्पताल के कम से कम 20 प्रतिशत ICU बिस्तर उपलब्ध होना चाहिए; तथा
- iii. 7 दिनों के औसत पर, 10 दिनों में से सात दिनों के लिए अस्पताल में COVID-19 वाले लोगों की संख्या में कोई निरंतर वृद्धि नहीं हुई हो।

b. अधिक प्रतिबंधात्मक शमन उपायों की ओर जाना।

a. अगर कोई क्षेत्र निम्नलिखित मैट्रिक्स को पूरा करता है, तो वह चरण 4 प्रतिबंधों से अतिरिक्त टियर 1 शमन उपायों की ओर जाएगा:

- i. COVID-19 परीक्षण सकारात्मकता दर में 7-दिवसीय रोलिंग औसत (10 में से 7 दिन) में निरंतर वृद्धि, साथ ही या तो (a) COVID जैसी बीमारी के लिए अस्पताल में प्रवेश लेने वालों में निरंतर वृद्धि (10 दिन में सात दिन का रोलिंग औसत), या (b) लगातार तीन दिनों (7 दिन का रोलिंग औसत) के लिए ICU के 20 प्रतिशत से कम बिस्तर स्टाफ सहित उपलब्ध होना; या
- ii. लगातार तीन दिनों तक सकारात्मकता दर का औसत 8 प्रतिशत (7-दिवसीय रोलिंग औसत) से अधिक या उसके बराबर।

b. अगर कोई क्षेत्र निम्नलिखित मैट्रिक्स को पूरा करता है, तो वह टियर 1 शमन उपायों से टियर 2 शमन उपायों की ओर जाएगा:

- i. टियर 1 शमन उपायों (7-दिवसीय रोलिंग औसत) के तहत 14 दिनों की निगरानी अवधि में 8 प्रतिशत और 12 प्रतिशत के बीच की COVID-19 परीक्षण सकारात्मकता दर।

c. अगर कोई क्षेत्र निम्नलिखित मैट्रिक्स को पूरा करता है, तो वह टियर 2 शमन उपायों से टियर 3 शमन उपायों की ओर जाएगा:

- i. टियर 2 शमन उपायों (7-दिवसीय रोलिंग औसत) के तहत 14 दिनों की निगरानी अवधि के भीतर लगातार तीन दिनों के लिए COVID-19 परीक्षण सकारात्मकता दर 13 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर है।

अनुभाग 2: टियर वाले शमन उपाय। टियर 1, टियर 2, टियर 3 और चरण 4 के लिए प्रमुख लोक स्वास्थ्य प्रतिबंध और शमन उपाय नीचे वर्णित हैं। इलिनॉय लोक स्वास्थ्य विभाग (IDPH) और वाणिज्य और आर्थिक अवसर विभाग (Department of Commerce and Economic Opportunity), प्रत्येक टियर और फेज के लिए अतिरिक्त प्रतिबंध, शमन उपाय और मार्गदर्शन जारी कर सकते हैं।

1. चरण 4 के लिए लोक स्वास्थ्य प्रतिबंध और शमन उपाय सरकारी आदेश 2020-43 में निर्धारित किए गए हैं। उन लोक स्वास्थ्य प्रतिबंधों और शमन उपायों को एतद द्वारा फिर से राज्यव्यापी स्तर पर जारी किया गया है, तब के लिए छोड़कर जब कि EO 2020-43 की शर्तें उन अधिक

प्रतिबंधात्मक उपायों के साथ असंगत हैं जो टियर 1, टियर 2, या टियर 3 के द्वारा लगाए जा सकते हैं।⁴

2. टियर 1 लोक स्वास्थ्य प्रतिबंध और शमन उपाय निम्नलिखित हैं:

a. रेस्त्राओं और बारों के लिए न्यूनीकरण। क्षेत्र के रेस्त्रां और बार इन प्रतिबंधों और शमन उपायों के अधीन हैं:

1. क्षेत्र के सभी रेस्त्रां एवं बारों को रात्रि 11:00 बजे बंद हो जाना चाहिए, और अगले दिन सुबह 6:00 बजे तक बंद रहना चाहिए।
2. इस क्षेत्र के सभी रेस्त्रां और बार को परिसर में भोजन करने वालों को 25 मेहमानों या प्रति कमरे की 25 प्रतिशत क्षमता में से जो कम हो उस संख्या तक सीमित करना चाहिए。
 - a. परिसर में भोजन करने की सुविधा देने वाले सभी प्रतिष्ठानों को भोजन परोसना चाहिए।
 - b. परिसर में भोजन करने के आरक्षण 2-घंटे की अधिकतम अवधि और प्रति टेबल अधिकतम 4 व्यक्तियों तक सीमित होना चाहिए।
3. परिसर में खाने या पीने वाले सभी ग्राहक बाहर खुले में एक दूसरे से कम-से-कम छः फ़ीट दूर रखी मेज़ों पर बैठेंगे। एक मेज़ पर एक से अधिक पार्टियां नहीं बैठेंगी।
4. जिन ग्राहकों को बैठने के लिए अब तक कोई मेज़ न मिली हो वे परिसर के बाहर प्रतीक्षा करेंगे और, प्रतीक्षा करते समय उस पार्टी से बड़े समूहों में एकत्र नहीं होंगे जिसके साथ वे भोजन करने आए हैं। परिसर में खड़े होने, एकत्र होने, या नाचने की अनुमति नहीं है।
5. हर पार्टी के पास आरक्षण होना चाहिए, भले ही वह वहीं आकर लिया गया हो, ताकि संपर्कों का पता लगाने (कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग) की आवश्यकता पड़ने की स्थिति में रेस्त्रां या बार के पास प्रत्येक पार्टी तक पहुंचने के लिए संपर्क जानकारी हो।

b. सभाओं और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए शमन उपाय। क्षेत्र में होने वाली बैठकें और सामाजिक कार्यक्रम निम्नलिखित प्रतिबंधों और शमन उपायों के अधीन हैं:

1. सभाएं एवं सामाजिक कार्यक्रम 25 लोगों और कक्ष की समग्र क्षमता के 25% में से जो भी कम हो उस तक सीमित हैं।
2. संपर्कों का पता लगाने (कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग) के लिए उपस्थिति सूचियां रखना आवश्यक है।
3. पार्टी बसों की अनुमति नहीं है।

c. गेम और कसीनो के लिए शमन उपाय। क्षेत्र के गेम और कसीनो इन प्रतिबंधों और शमन उपायों के अधीन हैं:

⁴उद्योग-विशिष्ट मार्गदर्शन यहां पर उपलब्ध है <https://dceocovid19resources.com/restore-illinois/restore-illinois-phase-4/>.

1. गेमिंग के स्थान और कसीनो को रात्रि 11:00 बजे से दूसरे दिन सुबह 6:00 बजे तक बंद रहना चाहिए और गेमिंग टर्मिनलों को संचालन रोक देना चाहिए।
 2. गेमिंग के स्थान और कसीनो क्षमता के 25% पर सीमित हैं।
 3. गेमिंग के स्थानों और कसीनो को अपनी इकाइयों के रेस्त्रां एवं बार वाले भागों के लिए निर्धारित शमन उपायों का पालन करना होगा।
- d. सभी कार्यस्थलों के लिए शमन उपाय। व्यवसाय और प्रतिष्ठान उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए घर से कार्य करना प्रचलित करेंगे, और यह मूल्यांकन करेंगे कि और कर्मि घर से कार्य कर सकते हैं या नहीं। यह सरकारी आदेश अधिकतम संभव कर्मियों के लिए घर से कार्य करने को प्रोत्साहित करता है।
3. निम्नलिखित टियर 2 लोक स्वास्थ्य प्रतिबंध और शमन उपाय हैं:
- a. रेस्त्राओं और बारों के लिए न्यूनीकरण। क्षेत्र के रेस्त्रां और बार इन प्रतिबंधों और शमन उपायों के अधीन हैं:
 1. क्षेत्र के सभी रेस्त्रां एवं बारों को रात्रि 11:00 बजे बंद हो जाना चाहिए, और अगले दिन सुबह 6:00 बजे तक बंद रहना चाहिए।
 2. क्षेत्र के सभी रेस्त्रां एवं बार, परिसर में भवन के अंदर भोजन परोसना स्थगित रखेंगे।
 3. परिसर में खाने या पीने वाले सभी ग्राहक बाहर खुले में कम-से-कम छः फ़ीट दूर रखी मेज़ों पर बैठेंगे। एक मेज़ पर एक से अधिक पार्टियां नहीं बैठेंगी। टेबल छह या उससे कम के समूहों तक सीमित हैं।
 4. जिन ग्राहकों को बैठने के लिए अब तक कोई मेज़ न मिली हो वे परिसर के बाहर प्रतीक्षा करेंगे और, प्रतीक्षा करते समय उस पार्टी से बड़े समूहों में एकत्र नहीं होंगे जिसके साथ वे भोजन करने आए हैं। परिसर में खड़े होने, एकत्र होने, या नाचने की अनुमति नहीं है।
 5. हर पार्टी के पास आरक्षण होना चाहिए, भले ही वह वहीं आकर लिया गया हो, ताकि संपर्कों का पता लगाने (कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग) की आवश्यकता पड़ने की स्थिति में रेस्त्रां या बार के पास प्रत्येक पार्टी तक पहुंचने के लिए संपर्क जानकारी हो।
 - b. सभाओं और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए शमन उपाय। क्षेत्र में होने वाली बैठकें और सामाजिक कार्यक्रम निम्नलिखित प्रतिबंधों और शमन उपायों के अधीन हैं:
 1. बैठकें और सामाजिक कार्यक्रम 10 लोगों या उससे कम तक सीमित हैं।
 2. संपर्कों का पता लगाने (कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग) के लिए उपस्थिति सूचियां रखना आवश्यक है।
 3. पार्टी बसों की अनुमति नहीं है।
 - c. गेम और कसीनो के लिए शमन उपाय। क्षेत्र के गेम और कसीनो इन प्रतिबंधों और शमन उपायों के अधीन हैं:

1. गेमिंग के स्थान और कसीनो को रात्रि 11:00 बजे से दूसरे दिन सुबह 6:00 बजे तक बंद रहना चाहिए और गेमिंग टर्मिनलों को संचालन रोक देना चाहिए।
 2. गेमिंग के स्थान और कसीनो क्षमता के 25% पर सीमित हैं।
 3. गेमिंग के स्थानों और कसीनो को अपनी इकाइयों के रेस्त्रां एवं बार वाले भागों के लिए निर्धारित शमन उपायों का पालन करना होगा।
- d. इनडोर और आउटडोर मनोरंजन के लिए शमन। क्षेत्र में इनडोर और आउटडोर मनोरंजन सुविधाएं इन प्रतिबंधों और शमन उपायों के अधीन हैं:
1. सुविधाएं 25 लोगों से कम तक या 25% क्षमता तक सीमित हैं।
 2. समूह 10 लोगों या उससे कम तक सीमित हैं।
- e. सभी कार्यस्थलों के लिए न्यूनीकरण। व्यवसाय और प्रतिष्ठान उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए घर से कार्य करना प्रचलित करेंगे, और यह मूल्यांकन करेंगे कि और कर्मि घर से कार्य कर सकते हैं या नहीं। यह सरकारी आदेश अधिकतम संभव कर्मियों के लिए घर से कार्य करने को प्रोत्साहित करता है।
4. टियर 3 के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिबंध और शमन उपाय सरकारी आदेश 2020-73 में निर्धारित किए गए हैं।

अनुभाग 3. निम्नलिखित छूट सभी टियर और चरणों पर लागू होती हैं। COVID-19 के कारण आपदा घोषणाओं के दौरान जारी की गई इन छूटों को रद्द करने का मेरा कोई इरादा नहीं है।

- a. मुक्त धर्मपालन। यह कार्यकारी आदेश मुक्त धर्मपालन को सीमित नहीं करता है। धार्मिक नेताओं, कर्मचारियों, धार्मिक समाज/ सभा के सदस्यों/ भक्तगणों, और आगंतुकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के संरक्षण के लिए, धार्मिक संगठनों एवं उपासना गृहों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे इलिनॉय जन स्वास्थ्य विभाग (Illinois Department of Public Health) से परामर्श करें और विभाग द्वारा अनुशंसित प्रथाओं एवं दिशानिर्देशों का पालन करें।⁵ जैसा कि IDPH दिशानिर्देशों में वर्णित है, इस समय धार्मिक संगठनों के लिए सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि वे अपनी सेवाएं ऑनलाइन, ड्राइव-इन प्रारूप में, या आउटडोर में (तथा सामाजिक दूरी और फ़ेस कवर पहनने से संबंधित आवश्यकताओं का पालन करते हुए) प्रदान करें, और सेवाओं को 10 लोगों पर सीमित करें। धार्मिक संगठनों को जोरदार तरीके से प्रोत्साहित किया जाता है कि वे सामाजिक दूरी, फ़ेस कवर के उपयोग, और सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्य उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के कदम उठाएं।
- b. आपातकालीन कार्य। सभी प्रथम उत्तरदाता, आपातकालीन प्रबंधन कर्मी, आपातकालीन डिस्पैचर, न्यायालय कर्मी, कानून प्रवर्तन और सुधार कर्मी, खतरनाक सामग्री उत्तरदाता, बाल संरक्षण और बाल कल्याण कर्मी, आवास और आश्रय कर्मी, सैन्य, आपातकालीन प्रतिक्रिया को सपोर्ट करने वाले अन्य सरकारी कर्मचारियों को स्पष्ट

⁵यह मार्गदर्शन यहां उपलब्ध है: <https://www.dph.illinois.gov/covid19/community-guidance/places-worship-guidance>

रूप से इस कार्यकारी आदेश द्वारा छूट दी गई है, लेकिन सामाजिक दूरी बनाए रखने और सिफारिश किए गए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

- c. **सरकारी कार्य।** यह कार्यकारी आदेश संयुक्त राज्य सरकार पर लागू नहीं होता है और उन सभी सेवाओं को प्रभावित नहीं करता है जो राज्य या किसी भी नगर निगम, टाउनशिप, काउंटी, उपखंड या सरकार की एजेंसी द्वारा प्रदान की जाती हैं और सरकारी एजेंसियों के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने या जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण प्रदान करने या समर्थन करने के लिए आवश्यक है।

अनुभाग 4. यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के लागू करने को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या आवेदन के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस सरकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker) राज्यपाल

(गवर्नर)

जनवरी 19, 2021 को राज्यपाल द्वारा जारी किया गया
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा जनवरी 19, 2021 को दायर